

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त 2024—भाद्र 5, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 31-1-स्था.-वि.निर्वा.-2024-172.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 154-MP-2024-P.Admn., दिनांक 19 अगस्त 2024 द्वारा श्री सुखबीर सिंह IAS (M.P. 1997) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थ किया है. अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :-

बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 19 अगस्त, 2024-28 श्रावण, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/MP/2024-P.Admn -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री सुखबीर सिंह, आई.ए.एस. (एम.पी.:1997) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री सुखबीर सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री सुखबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(अजय कुमार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय.

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 19th August, 2024 – 28 Sravana, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/MP/2024-P.Admn. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Madhya Pradesh hereby designates Shri Sukhveer Singh, IAS (MP: 1997) as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Anupam Rajan, IAS.

2. Shri Sukhveer Singh shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Madhya Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Sukhveer Singh while functioning as the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Madhya Pradesh except that he should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,
Sd./-
(AJAY KUMAR)
Principal Secretary,
Secretariat of the Election Commission of India.